	(ii) भारतीय समेकित निधि से परिषदों को अनुदान सहायता । (ख) परिषदों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपाय । (ग) परिषद की बेहतर वित्तीय स्थिति के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामले । (2) राष्ट्रपति नियमानुसार आयोग के गठन, सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता तथा उनके निर्वाचन के तरीकों के लिए छूट दे सकता है । (3) राष्ट्रपति नियमानुसार यह प्रदत्त करेंगे कि आयोग सौंपे गए अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी प्रक्रिया का निर्धारण तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।	
	अध्याय – X **विविध**	
	96. (1) यदि किसी ग्रामीण परिषद या द्वीप परिषद के किसी सदस्य या संबंधित कैप्टेन के किसी चुनाव वैधता पर चुनाव में वोट प्राप्त किए किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न उठाने पर वह व्यक्ति चुनाव परिणाम के घोषित करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर किसी भी समय ऐसे प्रश्न के लिए नियत किए गए निर्धारित फार्म में जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकता है । (2) प्रत्येक याचिका को जैसा भी संभव हो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी और प्रयास यही किया जाएगा कि जिला न्यायाधीश के पास प्रस्तुत की गई तिथि से छह माह के भीतर मुकदमा को समाप्त किया जाए ।	निर्वाचन याचिका
	97. (1) उसके सिवाय इस विनियम या इसके लिए निर्मित नियमों के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपलब्ध प्रक्रिया के अलावा दायर किए गए मुकदमा के संबंध में जहाँ तक यह लागू होगा, इसे जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका की सुनवाई में पालन किया जाएगा । बशर्ते कि :– (क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों जिनके निर्वाचन को जाँच के दायरे में लिया गया है को उसी याचिका का प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है और उनके मुकदमों को एक साथ करने की कोशिश की जाए और किसी दो या उससे अधिक याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो ऐसे मुकदमा या सुनवाई समनुरूप हो, ऐसे याचिका को प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए अलग याचिका समझी जाएगी ।	निर्वाचन याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया